IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 7, May 2022
Impact Factor: 6.252

# मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था : एक ऐतिहासिक अध्ययन

**Dr.(Smt.) Poonam Mishra[1] and Rajbhan Chrmkar[2]**
Professor, Department of Histroy[1]
Research Scholar, Department of Histroy[2]
Government T. R. S. College, Rewa, MP, India

**सारांश :** 1526 ई. में बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। मुगल शासकों ने भारत में एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जो मौर्य साम्राज्य के पतनोपरांत भारतीय इतिहास का सबसे विशाल साम्राज्य था। साम्राज्य निर्माण के साथ–साथ एक शक्तिशाली केन्द्रीयकृत और उपयोगी शासन प्रणाली का मुगलों ने भारत में निर्माण किया। मुगल साम्राज्य और मुगल प्रशासन का वास्तविक निर्माता अकबर था। तुर्क, अफगान शासनकाल में विकसित शासन प्रणाली में अकबर ने मौलिक परिवर्तन लाए। इस क्रम में अकबर ने मंगोल और तैमूरी परम्पराओं को अपनाया तथा शेरशाह द्वारा विकसित शासन–प्रणाली की मुख्य विशेषताओं को भी ग्रहण किया। प्रस्तुत शोध पत्र में मुगलकालीन प्रशासनिक अधिकारियों के विभाग, पद, वेतन इत्यादि का अध्ययन किया गया है।

**कठिन शब्द–**तुर्क, खलीफा, अब्बासी, हुमायूनामा, दैवी प्रकाश, साम्राज्य, प्रशासनिक व्यवस्था आदि।

**प्रस्तावना :**

इस्लाम धर्म का उदय सातवीं शताब्दी में अरब में हुआ था। इसके प्रवर्तक मुहम्मद साहब (571–632 ई.) ने नये धर्म के जिन सिद्धांतों को प्रतिपादित किया वे कुरान में संकलित हैं। मुहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात् उनकी उक्त सुक्तियों एवं विचारों का संकलन किया गया जो कुरान में उपलब्ध नहीं थें। इन्हें 'हदीस' कहा गया। कुरान एवं हदीस का सम्मिलित नाम 'शरीअत' है। मुस्लिम राजत्व सिद्धांत का मूल आधार 'शरीअत' ही है।

दिल्ली सुल्तानों की भाँति मुगल बादशाह भी राजत्व के ''दैवी सिद्धांत'' में विश्वास करते थे। बाबर ने स्वयं खलीफा के बन्धनों से मुक्त करके बादशाह की उपाधि ग्रहण की। वह स्वयं तुजके–ए–बाबरी में लिखता है, ''उस समय तैमूर वेग के उत्तराधिकारी को चाहे वे राज्य ही क्यों न करते हों, मिर्जा कहते थें, किन्तु इस समय मैंने वह सम्राट के वंशानुगत अधिकार में विश्वास करता था।[1] वह बादशाही से बढ़कर किसी को भी बड़ा बन्धन नहीं मानता था।

बाबर की तरह हुमायूँ भी राजत्व के दैवी सिद्धांत में विश्वास करता था। वह सम्राट को ईश्वर का प्रतिनिधि समझता था।[2] उसके विचारानुसार सम्राट अपनी प्रजा का उसी प्रकार रक्षक है जिस प्रकार ईश्वर प्रणियों का होता है। वह सूर्य के प्रकाश के प्रति (ईरानियों की तरह) आकर्षित था। उसने तैमूरी परम्परा तथा बाबर के सलाह के अनुरूप ही अपने साम्राज्य का विभाजन किया लेकिन वह सम्राट बना रहा। हुमायूँ के बाद अफगान सम्राट शेहशाह सूरी ने दैवी सिद्धांत में विश्वास करके ही राज्य किया वह बहलोल लोदी की तरह स्वयं को बराबरी के अमीरों में से प्रथम अमीर नहीं मानता था।

बाबर तथा हुमायूँ की तरह अकबर भी राज्य की दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत में विश्वास करता था। उसने स्वयं को 'ईश्वर की प्रति छाया' घोषित किया।[3] वह हुमायूँ की तरह सम्राट को दैवी ज्योति मानता था। उसके विचारानुसार सम्राट को अपनी प्रजा से वैसा ही प्रेम करना चाहिए जैसे कि एक पिता अपनी संतान से। जहाँगीर भी अपने पुर्वजों की भाँति सम्राट जहाँगीर भी राजत्व को ईश्वरीय उपहार मानता था। लेकिन उसके विचारानुसार यह ईश्वर पद केवल उसे ही देता है जिसे वह योग्य समझता है।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 7, May 2022
Impact Factor: 6.252

शाहजहाँ तथा औरंगजेब सम्राट को ईश्वर की प्रतिछाया समझते थे। शाहजहाँ राजत्व की गरिमा के लिए दरबार की शान शौकत को तो औरंगजेब सादगी तथा जन–धन को न छूने की परम्परा में विश्वास करता था। प्रोफेसर एस. आर. शर्मा के अनुसार, ''मुगल साम्राज्य धर्म से अप्रभावित राज्य था। अकबर ने धर्म को राजनीति से अलग करके एक लौकिक साम्राज्य स्थापित किया। विशेष बात यह थी कि मुगल सम्राटों ने धर्मान्धता की नीति का अनुसरण नहीं किया।''

मुगल प्रशासन तीन भागों में बटाँ था– 1. केन्द्रीय प्रशासन, 2. प्रान्तीय प्रशासन, 3. स्थानीय प्रशासन।

**केन्द्रीय प्रशासन**

**सम्राट** –मुगल केन्द्रीय शासन में सर्वोच्च स्थान सम्राट का था। सम्राट मंत्रियों की सहायता से शासन करते थे। मंत्रियों में एक प्रमुख मंत्री होता था जिसे वजीर या वकील (प्रधानमंत्री) कहा जाता था। सम्राट के पास व्यवस्थापिका कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधी सभी शक्तियाँ होती थीं। वह राज्य में सर्वोच्च सेनापति और नागरिक प्रशासन का सर्वाधिक शक्तिशाली अधिकारी था।

**मंत्री गण –**

**1. वकील अथवा प्रधानमंत्री** –वकील सम्राट के बाद बाबर के काल से लेकर बैरम खाँ के पतन तक (1560 ई.) सर्वाधिक शक्तिशाली केन्द्रीय मंत्री होता था। इसके अधिकार में कोष तथा राजस्व विभाग रहता था, सम्राट के अनुपस्थिति में वह उसकी जगह कार्य करता था। अकबर के काल में यह पद बैरम खाँ को मिला था।

**2. वजीर अथवा दीवान–ए–आला** –मुगल साम्राज्य के राजस्व तथा वित्तमंत्री को दीवान (दीवान–ए–आला, दीवान–ए–कुल) कहा जाता था। मुगलकाल में दीवान का प्रयोग वित्त एवं राजस्व मंत्री के लिए किया जाता था।[4] 1560 में अकबर ने ख्वाजा अब्दुल मजीद को आसफ खाँ की उपाधि देकर उसे वजीर के पद पर नियुक्त किया था।

**3. मीर बख्शी** –केन्द्र में तीसरा महत्वपूर्ण मंत्री बख्शी होता था। वह सैन्य विभाग की देखभाल करता था। सैनिकों के वेतन तथा आय–व्यय विभाग का कार्य करता था। मनसबों की नियुक्ति करता था और उनके वेतन का निरीक्षण कर उसका वितरण करता था।[5]

**4. सद्र–अस–सुदूर** –वह धर्मार्थ विभाग का मुखिया था। उसके पास धार्मिक धन–सम्पत्ति, मृत व्यक्तियों की सम्पत्ति होने के साथ सम्राट को प्रधान न्यायाधीश और शिक्षा संबंधी मामलों के रूप में परामर्श देता था।

**5. मीर–ए–समान** –मुगल केन्द्रीय शासन का महत्वपूर्ण विभाग 'मीर–ए–समान' था। मीर–ए–समान मुगल सम्राट के हीरे, जवाहिरात, हथियार, गोला बारूद से लेकर साधारण वस्तुओं तथा शाही भवन में रखे पशुओं तक की देखरेख एवं प्रबन्ध के लिये उत्तरदायी था।[6]

**6. काजी–उल–कुजात** –यह न्याय विभाग का प्रधान होता था। वह प्रधान काजी भी था और उसका न्यायालय सबसे बड़ा न्यायालय था। प्रत्येक बुधवार को वह कचहरी करता था। वह मुस्लिम कानून के अनुसार निर्णय करता था।

**7. मुहतसिब** –वह धर्म निरपेक्ष तथा धार्मिक दोनों ही प्रकार के कार्य करता था। ''उसका काम खींची गई शराब अथवा जौं की उत्तेजित शराब, भाँग और मादक द्रव्यों का पीना, जुआ खेलना तथा कुछ विशेष प्रकार के मैथुनों को रोकना था।''

**8. मीर आतिश** –मीर आतिश के अधीन तोपखाना विभाग था और इस विभाग को सुचारु रूप से चलाने का उत्तरदायित्व उस पर था। उसके अधिकार में समस्त तोपें और बन्दूकें थीं।

**9. दारोगा–ए–डाक चौकी** –यह मुगलकाल वह सारे साम्राज्य की सूचना एवं गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष होता था।

**प्रांतीय प्रशासन :–**

मुगल सम्राटों ने शासन की सुविधा के लिए अपने साम्राज्य को अनेक प्रान्तों में विभाजित किया था। प्रसिद्ध इतिहासकार यदुनाथ सरकार के अनुसार, ''मुगल साम्राज्य की प्रांतीय शासन–प्रणाली केन्द्रीय सरकार का पूर्णरूपेण एक छोटा रूप था।''

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 7, May 2022
Impact Factor: 6.252

अबुल फजल के अनुसार अकबर के बारह सूबे थें– इलाहाबाद, आगरा, अवध, अजमेर, अहमदाबाद, बिहार, दिल्ली, काबुल, लाहौर, मुल्तान और मालवा बाद में बरार, खानदेश और अहमद नगर की विजय के साथ इनकी संख्या पंद्रह हो गई थी।[7] प्रांतीय सरकार को चलाने वाले निम्न अधिकारी थे–

1. नाजिम (सुबेदार) प्रत्येक प्रांत का मुख्य पदाधिकारी सुबेदार कहलाता था। अकबर के समय में सिपहसलार के नाम से सम्बोधित किया जाता था। उसके उत्तराधिकारियों के काल में 'नाजिम' या 'नाजिम–ए–सूबा' कहा जाने लगा। नाजिम की नियुक्ति सम्राट के शाही फरमान द्वारा होती थी। सूबेदार प्रांत का प्रमुख प्रशासक था। प्रांत में शांति एवं सुव्यवस्था स्थापित करना उसका प्रमुख कर्त्तव्य था।[8]

प्रांतीय दीवान (दीवान–ए–सूबा) प्रांत में दूसरा महत्वपूर्ण अधिकारी दीवान था। वह सुबेदार का प्रतिद्वन्द्वी था। उसका प्रमुख कार्य प्रांत में राजस्व की उचित व्यवस्था करना था। वह वसूली और बकाया का हिसाब किताब रखता था।

सद्र और काजी–केन्द्रीय सदर की सिकारिश पर सम्राट हर प्रांत में एक सदर की नियुक्ति करता था प्रांतीय काजी न्याय संबंधी अधिकारी था। प्रांतीय बख्शी– इसकी नियुक्ति मीर बख्शी की स्तुति पर सम्राट करता था। वह प्रांतीय सेना की भर्ती, सेना का प्रशिक्षण, उनके हुलिया लिखने, उन्हें सैनिक साज–समान देने और घोड़ों को दगवाने की व्यवस्था करता था।

वकियानवीस–कई बार प्रांतीय बख्शी को ही वकियानवीस के काम भी सौंप दिए जाते थें। वह सम्राट के सभी महत्वपूर्ण घटनाओं की सूचना भेजता था। कोतवाल–प्रांतीय राजधानियों में और बड़े–बड़े शहरों में यह अधिकारी स्थानीय क्षेत्र में शांति और व्यवस्था का प्रबंध करता था। अबुल फजल के अनुसार, ''इस पद पर काम करने वाला व्यक्ति बलवान, क्रियावान, विचारवान दयावान, अनुभवी और सतर्क होना चाहिए।''[9]

मीरबहार, प्रांत के जलमार्ग के अनुरक्षण के लिए मीरबहार की नियुक्ति होती थी। उसका कार्य नदियों के घावों, पुलों का निर्माण, बंदरगाहों आदि की देखभाल करना था।

**स्थानीय शासन :–**

मुगलकाल में सूबे जिलों में विभाजित थे जिन्हें सरकार कहा जाता था। सरकार महाल या परगनों में विभाजित थे। कई गाँव मिलाकर परगने बनते थें। सरकार या जिला–सरकार का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी फौजदार था। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सरकार में काजी, अमलगुजार, बितिकची तथा खजानादार नियुक्त थें।[10]

परगना–प्राचीन भारत में लगभग सौ गांवों को मिलाकर एक परगना बनाया जाता था। परगने के प्रशासन में एक शिकदार, अमिल तथा कानूनगो, खजांची तथा लिपिक नियुक्त थे। [11]

परगना गांवों में विभाजित था। मुगलकाल की अधिकतर जनता गांवों में रहती थी। गांव में सबसे प्रमुख अधिकारी मुकद्धम, चौधरी या पटेल कहलाता था। मुकद्धम ही गाँव के किसान से लगान वसूल करता था, अबुल फजल के अनुसार वह किसानों का कर्मचारी था तथा किसानों के व्यक्तिगत लगान, लेनदेन का हिसाब–किताब रखना उसका प्रमुख कर्त्तव्य था। मुगल सरकार के अफसर अपना वेतन दो प्रकार से पाते थे या तो वे राज्य से नकद रूप में पाते थे अथवा कभी–कभी उन्हें कुछ समय के लिये जागीरें दे दी जाती थीं। परन्तु उन्हें अपने जागीरों में भूमि पर किसी प्रकार का अधिकार नहीं दिया जाता था।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि नौकरशाही पद्धति पर आधारित मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का केन्द्रीय शासन से लेकर ग्रामीण–स्तर तक पूर्ण नियंत्रण था तथा उनके क्रमिक स्तरों में सहयोगात्मक संबंधों के कारण पूरा प्रशासन या शासन–तंत्र कुशलता पूर्वक कार्य कर रहा था।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 7, May 2022
Impact Factor: 6.252

मुगलों के केन्द्रीय प्रशासन की विशेषता यह थी कि निरन्तर आवश्यकतानुसार विकास होता रहा। दूसरी अकबर ने सभी विभागों तथा मुख्य अधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य निर्धारित करते समय नियन्त्रण व संतुलन का सिद्धांत अपनाया जिससे शासन करने में उसे व उसके उत्तराधिकारियों को बड़ी सुविधा हुई। सम्राट ही प्रशासन की मुख्य धुरी था। अतएव सभी उच्च या साधारण अधिकारी उसी के आदेशानुसार कार्य करते थे। अकबर के समय से नौकरशाही का संगठन इस प्रकार से हुआ कि प्रशासन के किसी न किसी रूप से एक–दूसरे से जुड़े हुए थे। ऐसी स्थिति में कोई मंत्री मनमानी ढंग से कार्य न कर सकता था। शाही सचिवालय का शाही महल के निकट होने के कारण सम्राट की दृष्टि सभी विभागों के कार्यों पर निरंतर रहती थी। अतएव सभी विभाग भली भाँति कार्य करने के लिए कटिबद्ध थे।

उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि मुगलों का प्रांतीय शासन पूर्णतः संगठित व व्यवस्थित था। प्रांत व उसकी विभिन्न इकाइयों के अधिकारियों पर केन्द्रीय प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण रहता था। उच्च अधिकारियों के समय–समय पर स्थानांतरण के कारण तथा शक्ति संतुलन की नीति के कारण कोई भी अधिकारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने में समर्थ न था। यदि वह अपने अधिकारों की सीमा से बाहर जाता था तो उसके परिणाम वह भली– भाँति समझता था। सभी प्रशासनिक इकाइयों में एक अधिकारी पर दूसरे अधिकारी का अंकुश लगा रहता था। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य शांति को बनाये रखना व जनकल्याण करना था।

**संदर्भ ग्रन्थ सूची :**

1. पाठक, रश्मि, अकबर से औरंगजेब तक, अर्जुन पब्लिशिंग नई दिल्ली, 2003, पृ. 152
2. द्विवेदी, आर.यस. मध्यकालीन भारत, विश्व भारतीय पब्लिकेशन नई दिल्ली, पृ. 360
3. श्रीवास्तव हरिशंकर, मुगल शासन प्रणाली, दिल्ली, 1978, पृ. 11
4. हसन–इब्ने (अनु. यादव कृपालचंद्र) मुगल साम्राज्य के केन्द्रीय ढाँचा, ग्रंथ शिल्पी, नई दिल्ली पृ. 119
5. वर्मा हरीशचंद्र, मध्यकालीन भारत (भाग–2) दिल्ली विश्व. पृ. 295–96
6. लूनिया, बी.एन. मुगल शासन व्यवस्था, कमल प्रकाशन इंदौर, प्रथम संस्करण 1987, पृ. 76–77
7. प्रो. राधेश्याम, मध्यकालीन प्रशासन, समाज एवं संस्कृति, भार्गव बुक हाऊस इलाहाबाद, 2016, पृ. 108
8. शर्मा, एल.पी., मध्यकालीन भारत, (भाग–2), लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, पृ. 299
9. महाजन, डॉ. वी.डी., मध्यकालीन भारत (भाग–2) एस चन्द नई दिल्ली, पृ. 179
10. मेहता, जे.एल. मध्यकालीन भारत का वृहत इतिहास (खण्ड–2) जवाहर पब्लिशर्स नई दिल्ली, पृ. 359–60
11. पाण्डेय, अवध बिहारी, उत्तर मध्यकालीन भारत, सुरजीत पब्लिकेशन दिल्ली, 2012, पृ. 461